उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
"शक्ति भवन," 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या- 1604-कार्मिनी/रा०विप-29/99-9-कार्मिनी/87 दिनांक- 30 दिसम्बर, 1999-

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त महाप्रबन्धक,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
मुख्य नियन्त्रक (लेखा/प्रशासन),
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

विषय:- सेवाकाल में अर्जित अवकाश संचयन की सीमा में वृद्धि तथा सेवा निवृत्ति/मृत्यु आदि के दिनांक को परिषदीय सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले धनराशि का नकद भुगतान।

= = = = = = = = = = = = = = = =

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषदादेश सं0-198-पीएण्ड एफ.पी./रा०विप-29-9पी.एण्ड एफ.पी./87, दिनांक 26.8.98 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त परिषदीय सेवकों के लिए अर्जित अवकाश के संचयन की विद्यमान अधिकतम 240 दिन की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 300 दिन करने का निर्णय लिया गया है। यह सीमा उपभोग न किये गये अर्जित अवकाश के सामान्य नकदीकरण के अलावा निम्नांकित स्थितियों में भी प्रभावी होगी:-

(1) अधिवर्षता की आयु पर सेवा निवृत्त होने पर,
(2) सेवारत मृत्यु होने पर,
(3) निलम्बनाधीन रहते हुए सेवा निवृत्त होने पर,
(4) अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त कर दिये जाने पर,
(5) स्वेच्छया सेवा निवृत्ति ग्रहण करने पर,
(6) नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर,
(7) सेवा निवृत्ति के पश्चात पुनर्योजन की समाप्ति पर,
(8) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर।

2- उक्त संदर्भित परिषदादेश दिनांक 26.8.98 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

3- उपरोक्त आदेश इस परिषदादेश के निर्गमन की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

भवदीय,

(ईश्वर लाल)
संयुक्त सचिव

संख्या- 1604(1)/कार्मिनी/रा०विप-29/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) मुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ।
(2) समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद।
(3) पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ०प्र०रा०वि०प०, शक्ति भवन, लखनऊ।
(4) परिषद सचिवालय के समस्त अधिकारी/निजी सचिव/अनुभाग।

आज्ञा से,

([illegible] अहमद)
अनु सचिव

कर दी गयी थी, उनके मामले में भी परिषदादेश सं०-914-काविनी/राविप-29/98-4(6)11पी/ 12-5-98 में निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए पुरानी समयबद्ध वेतनमान की योजना के लाभ की सीमा तक प्रत्याप्ति की गयी धनराशि, यदि कोई हो, को उन्हें वापस किया जाना सुनिश्चित करें, परन्तु इस प्रकार धनराशि वापस किये जाने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि यदि पुरानी समयबद्ध वेतनमान की योजना के अन्तर्गत किये गये वेतन निर्धारणों में कोई त्रुटिपूर्ण समयबद्ध वेतनमान की स्वीकृति/वेतन निर्धारण दृष्टिगोचर होता है, तो उसकी प्रत्याप्ति का समायोजन नियमानुसार कर लिया जाये।

4. उक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में परिपत्र सं०-2019-काविनी/राविप-29/97-4(6)11पी/86 दिनांक 21-10-97 द्वारा निर्गत आदेश निष्प्रभावी समझे जायें।

4. अस्तु, आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

ईश्वर लाल
संयुक्त सचिव

अवकाश एवम् अवकाश नकदीकरण
Leave & Leave Encashment

सेवाकाल में अर्जित अवकाश संचयन की सीमा में वृद्धि तथा सेवा निवृत्ति/मृत्यु आदि के दिनांक को परिषदीय सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले धनराशि का नकद भुगतान।

संख्या-1604-काविनी/राविप-19/99-9-काविनी/87 दिनांक : दिसम्बर 30, 1999

उपर्युक्त विषयक परिषदादेश सं०-198-पी. एण्ड एफ.पी./राविप-29-9पीएण्डएफ.पी./87, दिनांक 26-8-88 के आंशिक संशोधन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त परिषदीय सेवकों के लिए अर्जित अवकाश के संचयन की विद्यमान अधिकतम 240 दिन की निर्धारित सीमा को बढ़ाकर 300 दिन करने का निर्णय लिया गया है। यह सीमा उपभोग न किये गये अर्जित अवकाश के सामान्य नकदीकरण के अलावा निम्नांकित स्थितियों में भी प्रभावी होगी :—

(क) अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्त होने पर,

(ख) सेवारत मृत्यु होने पर,

(ग) निलम्बाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने पर,

(घ) अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर,

(ङ) स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर,

(च) नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर,

(छ) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर।

2. उक्त संदर्भित परिषदादेश दिनांक 26-8-88 के प्रस्तर-2 में निहित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3. उपर्युक्त आदेश इस परिषदादेश के निर्गतन की तिथि से प्रभावी माने जायेंगे।

ईश्वर लाल
संयुक्त सचिव

सेवा निवृत्ति के समय अवकाश खाते में जमा अर्जित अवकाश की अवधि का नकदीकरण ।

पत्र सं०-4065 जी/रा० वि०प०-एक-230 ए/66 दिनांक जून 23, 1978

राज्य शासन की अनुरूपता में परिषद ने यह निर्णय लिया है कि परिषदीय कर्मचारियों को अधिवर्षता पर सेवा निवृत्ति के समय उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार ग्राह्य अवकाश वेतन के समतुल्य नकद धनराशि का भुगतान कर दिया जाय ।

यह आदेश दिनांक 30-9-77 या उसके पश्चात अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त होने वाले परिषदीय कर्मचारियों पर लागू होंगे ।

यह सुविधा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगी ।

(1) अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 180 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रहेगा ।

(2) अवकाश वेतन के समतुल्य इस प्रकार स्वीकृत नकद भुगतान सेवा निवृत्ति पर देय होगा और उसकी अदायगी एक ही बार निपटाने के रूप में एक मुश्त की जायेगी ।

(3) नकद धनराशि का भुगतान नीचे मद (4) के अधीन रहते हुये,

सेवानिवृत्ति के समय अवकाश के बदले धनराशि के आगणन की प्रक्रिया का सरलीकरण।

संख्या 2222-जी/रा० वि० प०-का-एक-230-ए/ दिनांक: अक्टूबर 24, 1986 1966

सेवा निवृत्ति के दिनांक को परिषदीय सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि के नकद भुगतान विषयक कार्यालय ज्ञापांक 4065-जी/रा० वि० प०-एक-230 ए/1966, दिनांक 23 जून 1978, संख्या 317-जी/रा०वि०प०-एक-230ए/1966, दिनांक 19 फरवरी, 1979 तथा संख्या-3683-जी/रा०वि०प०-का-एक-230ए/66, दिनांक1/2 फरवरी, 1984 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त ज्ञाप दिनांक 23 जून, 1978 के प्रस्तर-3 (3) में वर्णित अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार अनुमन्य अवकाश वेतन की भाँति धनराशि के आगणन की प्रक्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार अर्जित अवकाश के वास्तविक उपभोग की स्थिति में नियमानुसार ग्राह्य होता है। उदाहरणार्थ यदि कोई सेवक 31 दिसम्बर, 1984 को सेवा-निवृत्त होता है और उसके खाते में 180 दिनों का उपार्जित अवकाश अवशेष होता है तो उसे 1 जनवरी से 29 जून (माह फरवरी में 28 दिन होने की दशा में) तक की अवधि के अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी परन्तु यदि कोई सेवक 30 जून को सेवा-निवृत्त होता है और उसके खाते में 180 दिन का उपार्जित अवकाश अवशेष है तो उसे 1 जुलाई से 27 दिसम्बर तक की अवधि के अवकाश वेतन के समतुल्य धनराशि ग्राह्य होगी। इस प्रकार के अवकाश वेतन का आगणन करने से वर्ष के विभिन्न महीनों में दिनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण सेवा निवृत्ति के दिनांक को अर्जित अवकाश के समतुल्य भुगतान की जाने वाली धनराशि में एकरूपता नहीं रहती है।

2. उक्त विसंगति को समाप्त करने हेतु परिषद ने राज्य शासन की अनुरूपता में सहर्ष यह निर्णय किया है कि अभी तक विद्यमान उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर अब सेवा-निवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्रानुसार किया जायेगा :—

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवा-निवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{180 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवा-निवृत्ति के दिनांक को सम्बन्धित सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।}$$